

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा), मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: apccfproduction@gmail.com

क्रमांक/निर्वर्तन/1402

भोपाल, दिनांक: 17/04/2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय काष्ठागारों से विक्रय किये गये काष्ठ का परिवहन ।

विषयांकित संबंध में लेख है कि, काष्ठागारों से निर्वर्तित वनोपज का वाहनों द्वारा परिवहन में वाहन हेतु निर्धारित भार क्षमता से अधिक वजन का काष्ठ, जलाऊ आदि परिवहन हेतु अनुमति न दी जावे । काष्ठ का वजन निर्धारण हेतु राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से प्राप्त विभिन्न प्रजाति के काष्ठ का (12 % Moisture Content) प्रति घ.मी. वजन (कि.ग्रा.) का विवरण निम्नानुसार है:-

अनु. क्र.	प्रजाति	वेज्ञानिक नाम	वजन प्रति घनमीटर (लगभग)
1.	सागौन	टेक्टोना गेंडिस	673 किलोग्राम
2.	साल	शोरिया रोबस्टा	881 किलोग्राम
3.	हल्दू	एडिना कॉर्डिफोलिया	689 किलोग्राम
4.	बीजासाल	टेरोकारपस मार्सूपियम	801 किलोग्राम
5.	साजा, अर्जुन, बहेड़ा इत्यादि	टर्मनेलिया प्रजाति	609 से 945 किलोग्राम
6.	शीशम	डलबर्जिया लेटीफोलिया	817 किलोग्राम
7.	काला सिरस	एलविजिया लेवेक	641 किलोग्राम
8.	खैर	एकेशिया कैटेचू	1009 किलोग्राम
9.	सिसू	डलबर्जिया सिसू	769 किलोग्राम
10.	लेन्डिया	लैजरस्ट्रोमिया पारवीफ्लोरा	753 किलोग्राम
11.	महुआ	मधुका इंडिका	913 किलोग्राम
12.	खमेर	मलाईना आरबोरिया	497 किलोग्राम
13.	आग	मंगीफेरा इंडिका	689 किलोग्राम
14.	जामुन	सईजिजियम क्यूमिनि	785 किलोग्राम
15.	जलाऊ (प्रति स्टेन्डर्ड चट्टा)		500 किलोग्राम

उपरोक्त विवरण के आधार पर विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले परिवहन अनुज्ञा पत्र में वनोपज की मात्रा घ.मी. के साथ-साथ कि.ग्रा. का भी उल्लेख किया जावे । परिवहन अनुज्ञा पत्र में वाहन के क्रमांक के साथ वाहन के लिए RTO से स्वीकृत परिवहन क्षमता का उल्लेख भी होना चाहिए ।

कृपया ध्यान रखा जावे कि, किसी भी परिस्थिति में वाहन में निर्धारित भार क्षमता से अधिक भार (वनोपज) के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र न दिये जावें ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म०प्र०, भोपाल

पृ.क्रमांक/निर्वर्तन/1403

भोपाल, दिनांक 17/04/2013

प्रतिलिपि:-1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म.प्र. भोपाल

2. समस्त वनमंडलाधिकारी, (उत्पादन), (क्षेत्रीय-उत्पादन कार्य) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म०प्र०, भोपाल